भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 187

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस बलों में अल्पसंख्यक

†187. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या गृह मंत्री पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व के बारे में दिनांक 5 अगस्त, 2014 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3610 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या जानकारी एकत्रित की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ख): जी , हां। वर्ष 2004-2011 के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) तथा असम राइफल्स में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा संलग्न है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, सीएपीएफ में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:-

(i) सभी प्रमुख समाचार-पत्रों, रोजगार समाचार, इंटरनेट आदि में व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरांत सीएपीएफ में अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक भर्ती विज्ञापन की प्रति अल्पसंख्यक आयोग को भी भेजी जाती है।

(ii) भर्ती रैलियों के लिए चयन बोर्ड में एक अल्पसंख्यक सदस्य शामिल किया जाता है।

चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि 1 एवं 2 में निहित 'पुलिस' एवं 'कानून और व्यवस्था ' "राज्य के विषय " हैं, इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

*****

अनुलग्नक

बल	2004			2005			2006			2007			2008		
	कुल भर्ती	अल्पसंख्यकों की भर्ती	भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों का प्रतिशत	कुल भर्ती	अल्पसंख्यकों की भर्ती	भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों का प्रतिशत	कुल भर्ती	अल्पसंख्यकों की भर्ती	भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों का प्रतिशत	कुल भर्ती	अल्पसंख्यकों की भर्ती	भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों का प्रतिशत	कुल भर्ती	अल्पसंख्यकों की भर्ती	भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों का प्रतिशत
बीएसएफ	6887.00	564.00	8.19	4007.00	299.00	7.46	4266.00	391.00	9.17	5164.00	601.00	11.64	4400	347	7.89
सीआरपीएफ	30673.00	1041.00	3.39	24799.00	1580.00	6.37	18908.00	1297.00	6.86			**	4804	372	7.74
सीआईएसएफ	369.00	44.00	11.92	2241.00	26.00	1.16	3525.00	317.00	8.99	7671.00	533.00	6.95	6743	386	5.72
आईटीबीपी	646.00	42.00	6.50	627.00	34.00	5.42	274.00	9.00	3.28	11882.00	676.00	5.69	6401	202	3.16
एसएसबी	115.00	2.00	1.74	8432.00	411.00	4.87	9372.00	465.00	4.96	3460.00	248.00	7.17	3087	161	5.22
एआर	4385.00	1233.00	28.12	5505.00	1808.00	32.84	2618.00	860.00	32.85	2624.00	456.00	17.38	2696	887	32.90
कुल	43075.00	2926.00	59.86	45611.00	4158.00	58.12	38963.00	3339.00	66.11	30801.00	2514.00	48.83	28131.00	2355.00	62.63

बल	2009			2010			2011*		
	कुल भर्ती	अल्पसंख्यकों की भर्ती	भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों का प्रतिशत	कुल भर्ती	अल्पसंख्यकों की भर्ती	भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों का प्रतिशत	कुल भर्ती	अल्पसंख्यकों की भर्ती	भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों का प्रतिशत
बीएसएफ	10943	908	8.30	23486	1953	8.32	28367	296	10.43
सीआरपीएफ	12481	850	6.81	18638	1022	5.48	11857	538	4.54
सीआईएसएफ	10294	631	6.13	17848	856	4.8	15102	388	2.57
आईटीबीपी	3189	208	6.52	1327	230	17.33	19240	276	1.43
एसएसबी	2662	117	4.40	11674	485	4.15	14344	644	4.49
एआर	2353	599	25.46	2503	312	12.47	1695	97	5.72
कुल	41922.00	3313.00	57.62	75476	4858	52.55	65075	2239	29.18

* वर्ष 2011 में बीएसएफ में, एसएससी के माध्यम से 20265 कांस्टेबल (जीडी) भर्ती किए गए। एसएससी ने अनुरोध के बावजूद अभी तक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना प्रदान नहीं की है। कांस्टेबल (जीडी) की भर्ती को नहीं दर्शाया गया है। अल्पसंख्यकों की शेष भर्ती तथा प्रतिनिधित्व को दर्शाया गया है।

** वर्ष 2006 के लिए सीआरपीएफ के संबंध में दर्शाए गए आंकड़े वर्ष 2006 एवं 2007 के लिए हैं।